डेल्टा मेघवाल बलात्कार व हत्या काण्ड

दिनांक 4, 5, 6 अप्रैल 2016

महिला एवं जन संगठनों की संयुक्त

तथ्यान्वेशन रपट

14 अप्रैल, 2016

ऑल इण्डिया दलित महिला अधिकार मंच, राजस्थान (ए.आई.डी.एम.ए.एम.), पीपुल्सयूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, राजस्थान (पी.यू.सी.एल.), अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, राजस्थान (एडवा), नेशनल फैड्रशन इण्डियन विमन, राजस्थान (एन.एफ.आई.डब्ल्यू.), विशाखा महिला शिक्षण व शोध समिति, ह्यूमन राईट्स लॉ नेटवर्क (एच.आर.एल.एन.), न्याय, शांति एवं मानव विकास संस्थान, राजस्थान यूनिवर्सिटी विमेन्स एसोसिएशन (रूवा), महिला पुनर्वास समूह, नैशनल मुस्लिम वुमेन्स वेलफेयर सोसायटी, राजस्थान महिला कामगार यूनियन, विविधा–महिला आलेखन एवं सन्दर्भ केन्द्र, महिला एवं बाल कल्याण समिति, सामाजिक विधि अध्ययन अकादमी, भारत ज्ञान विज्ञान समिति राजस्थान, सेन्टर फॉर एडवोकेसी एण्ड रिसर्च जयपुर, आजाद फाउण्डेशन, सूचना का अधिकार एवं रोजगार अभियान, मजदूर किसान शक्ति संगठन, राजस्थान मजदूर किसान मोर्चा अजमेर, बेटी जिन्दाबाद अभियान, राजस्थान, शिक्षा रोजगार केन्द्र व प्रबन्धक समिति (एस.आर.के.पी.एस.), महिला जनअकिार समिति, अजमेर, एकल नारी शक्ति संगठन राजस्थान, विशाखा महिला शिक्षा व शोद्य सस्थां, विकल्प राजस्थान, दलित अधिकार केंद्र, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण साझा अभियान, उरमूल ज्योति संस्थान नौखा, जमायत इस्लामी हिन् राजस्थान, राजस्थान समग्र सेवा संघ।

डेल्टा मेघवाल का नाम इसलिए लिया गया है कि क्योंकि उसके पिता का मानना है कि उसकी पहचान सार्वजनिक स्तर पर कायम रख संघर्ष किया जाये।

क्र.सं.	विषय सूचि	पृष्ठ संख्या
1.1	भूमिका व संकल्प	3
1.2	घटनाक्रम	4
2.	परिचय	5
3.	जांच के सवाल	5
3.1	डेल्टा मेघवाल की मृत्यु, हत्या या आत्म हत्या ? पुलिस क्यों आत्म–हत्या बनाना चाह रही है ?	6
3.1.1	क्यों 302 आई.पी.सी. की धारा नहीं हटानी चाहिए।	6
3.1.2	हत्या की जांच को लेकर अन्य सवाल	8
3.2	क्या डेल्टा मेघवाल के साथ कॉलेज परिसर में बलात्कार व यौनिक हिंसा हुई ?	9
3.3.1	बाल सुरक्षा कानूनों की अवहेलना	11
3.3.2	द. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 उचित धाराऐ जोड़ना ।	12
3.4	कॉलेज प्रबन्धन व सरकार के जिम्मेदार अधिकारियो का मृत बालिका की लाश को लेकर असंवेदनशील से पेश आना, साथ ही अनियमितताऐ बरतना।	13
3.5	क्या कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रावास में रह रही बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था की अवहेलना की व विभिन्न शिक्षण संस्था में कार्य स्थल पर यौन हिंसा कानून, 2013 का उल्लंघन किया ?	13
3.5.1	छात्रावास में चल रहा राम भेरोसे	13
3.5.2	कार्य स्थल पर यौन हिंसा कानून का उल्लंघन	14
4.	परिवार को सहयोग राशी व मुआवजा को लेकर सरकार की बेरूखी	15
4.1	अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम संशोधित 2015 के 1995 के नियम 12 (4) के तहत मुआवजा	15
4.2	पोक्सो कानून के तहत मुआवजा	15
5.	राजस्थान में पोक्सो कानून के तहत व दलित बालिकाओं पर हो रहे बलात्कार के आंकड़ो का सरसरी तौर पर विश्लेषण	16
6.	मांगे	17

1.1 भूमिका व संकल्प

कुमारी डेल्टा मेघवाल, उम्र 17 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी त्रिमोही, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर की रहने वाली थी। इसका जन्म दिनांक 7 मई 1999 कों भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित त्रिमोही गांव में हुआ बहुत कम उम्र में डेल्टा ने अपनी 12 कक्षा तक की पढ़ाई गांव त्रिमोही, गड़रोड़ और बाड़मेर में पूरी की है। उसके बाद वह शिक्षिका का प्रशिक्षण लेने नौखा, बीकानेर स्थिति जैन कन्या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान आई, जहां वह BSTC द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान ही जैन कन्या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, नौखा, बीकानेर में 29 मार्च 2016 को शिक्षक द्वारा डेल्टा के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

जब से कुमारी डेल्टा ने अपने आप से चलना शुरू किया, तभी से ही वह अपनी प्रतिभाएं दिखाने लगी। कुमारी डेल्टा पढ़ाई के साथ ही साथ चित्रकारी, कविता लिखना, गीत गाना व नृत्य में रूचि रखती थी। जब कुमारी डेल्टा अपने गांव में बनी प्राइमरी सरकारी स्कूल में दाखिला लिया तो स्कूल में सभी बच्चों से हर प्रतियोगिता में अव्वल रहती थी। अपनी दूसरी कक्षा से ही डेल्टा ने अपना हौंसला दिखाते हुये गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभायी और सभी के सामने मंच पर आकर माईक के साथ प्रस्तुतीकरण दिया। इतना ही नहीं डेल्टा ने अपनी चित्रकारी का हुनर भी साबित किया और एक पेंटिंग तैयार किया जिसकी वजह से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान सम्मानित किया। यह पेंटिंग आज भी जयपुर सचिवालय में लगी हुयी है। ज्योंहि डेल्टा 10 वर्ष की हुयी तो उसने परेड का नेतृत्व करते हुये स्वतन्त्रता व गणतन्त्र दिवस को आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित अधिकारियों को भी हर वर्ष सलामी दी है। इस तरह उसके नेतृत्व और कलाओं के हुनर के चलते कई बार राज्य व जिला स्तर पर सम्मानित हुई है।

डेल्टा के पिता व भाई–बहन ने बताया कि उसे गीत गाने का भी शौक था और जब भी उसे समय मिलता तो वह कभी अपनी बहिन के साथ तो कभी अकेले ही भजन और गाना गाने लग जाती थी। डेल्टा अपने गानों के साथ मौज मस्ती करते हुये डांस भी करने लग जाती थी।
बहुमुखी प्रतिभा की धनी डेल्टा मेघवाल इस गांव की पहली बालिका थी जिसने इस पाकिस्तान सीमा से सटे हुये त्रिमोही गांव में 12 वीं पास की थी। डेल्टा मेघवाल हमेशा से ही अपने जज्बे से अपने गांव की अन्य बालिकाओं को भी प्रेरित करती रहती थी। इतना ही नहीं वह अपने पिता का एक सपना थी वह यह भी साबित करना चाहती थी कि वह एक इस त्रिमोही गांव की पहली बालिका होगी जो सरकार के शिक्षा विभाग या अन्य कार्य सफल करके अपनी योग्यताओं को साबित करेगी और अपने गांव में मिसाल बनेगी। लेकिन कुमारी डेल्टा मेघवाल आज जिन्दा रह कर मिसाल नहीं बन पायी और अपने साथ हुये घौर अपराध के खिलाफ देश, राज्य में लड़ाई लड़ने की जंग को छोड़ गयी है।

डेल्टा मेघवाल के पिता का कहना था कि डेल्टा की हत्या के बाद उस गांव व अन्य आस–पड़ौस के गांवो में बालिका शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ा है और लोग यह तय कर रहे है कि अब हम हमारी बालिकाओं को आगे नहीं पढ़ायेंगे वरना डेल्टा की तरह अपने स्वाभीमान से समझौता नही करने पर हमारी बालिकाओं को भी मार दिया जायेगा।

हम सभी महिला व जन संगठनों ने तय किया है कि डेल्टा के साथ हुआ अन्याय, यौनिक हिंसा व हत्या के विरूद्ध यह लड़ाई हम सभी की लड़ाई है, और इसे हम लड़ेगे, जब तक कि डेल्टा को न्याय नही मिलता व अन्य बालिकाऐं व महिलाऐ अपने स्वाभीमान, सम्मान के लिए अन्याय के विरूद्ध इस लड़ाई को लड़ती रहेगी।

1.2 घटनाक्रम

दिनांक 29 मार्च, 2016 को प्रातः 11.30 बजे के करीब बीकानेर जिले के नौखा कस्बे के जैन कन्या शिक्षण प्रशिक्षण संस्था की द्वितीय वर्ष की बी.एस.टी.सी. छात्रा व छात्रावास आवासनी डेल्टा मेघवाल की लाश छात्रावास के पीछे कुण्ड में पाई गई। डेल्टा मेघवाल को प्रातः 6.50 पर अन्तिम बार एक अन्य आवासनी व परिसर में रह रहे प्राधानाध्यापक के पिताजी श्याम शुक्ल द्वारा देखी गई। छात्रावास की वॉडर्न इत्यादि का कहना था कि वह परिसर से गायब हो गई है और उसे कस्बे के सार्वजनिक स्थलों पर ढूंढा जा रहा था। डेल्टा मेघवाल के पिताजी जो त्रिमोही गांव, गडरा रोड़ बाडमेर में शिक्षक है, उन्हें दोपहर 1.30 बजे नौखा पुलिस के जरिये फोन पर उस घटना की सूचना दी गई। वे रात 12 बजे 450किमी. की यात्रा कर नौखा पहुंचे और अगले दिन सुबह 30 मार्च को एफआईआर दर्ज करवाई जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया कि उनकी बेटी को वे 28 मार्च की सुबह ही कॉलेज में छोड़ कर गये थे और रात में ही उसके साथ पी.टी.आई. विजेन्द्र सिंह द्वारा बलात्कार जिसमें वॉडर्न प्रिया शुक्ला का हाथ था जिसकी सूचना दी। उनका मानना था कि उनकी बेटी की हत्या बलात्कार के बाद की गई जिसमें विजेन्द्र सिंह, वॉडर्न प्रिया शुक्ला व संस्था प्रबन्धक ईश्वर चन्द बैद्य का हाथ था। दिनांक 30 मार्च 2016 को एफआईआर नं. 146/2016 नौखा थाना में, भारतीय दण्ड सहिता की धारा 302, 376, 201, 34, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) की धारा 3 (1) (12) व पोक्सो एक्ट की धारा 5 व 6 में दर्ज हुई । पुलिस ने पीटीआई विजेन्द्र सिंह को 29 मार्च को ही हिरासत में ले लिया। 4 अप्रैल की शांम को वॉर्डन प्रिया शुक्ला व 5 अप्रैल की शांम को प्रधानाध्यापक प्रज्ञा प्रतिक की गिरफ्तारी हुई। जांच अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक बीकानेर के सतनाम सिंह कर रहे है।

डेल्टा मेघवाल को न्याय मिले इसे लेकर देशभर में व्यापक आंदोलन चल रहा है। नौखा में 30 मार्च की सुबह से ही सभी आरोपितयों की तुरन्त गिरफ्तारी, बोर्ड द्वारा पोस्टमॉटम जिसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रहे व डेल्टा की लाश को असम्मान जनक से कचरे के ट्रेक्टर में अस्पताल पहुंचाने के विरोध में 2 दिन का धरना भी चला। 31 मार्च की शांम को पोस्टमॉटम के बाद वे अपनी बेटी को त्रिमोही गांव ले गये जंहा 1 अप्रैल को उसे दफनाया गया। तीनों आरोपियो की जमानत अर्जी 13 अप्रैल को जिला व सेसन अदालत, बीकानेर पर खारिज हुई। ईश्वर चन्द्र बैद्य को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। अभी तक सिर्फ 90 हजार रूपये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान से सहानुभूति राशी के रूप में स्वीकृत हुये।

जयपुर के स्तर पर राजस्थान के विभिन्न संगठनों ने 2 अप्रैल को बैठक व प्रदर्शन किया, 3 अप्रैल को गृहमंत्री गुलाब चन्द कटारिया को ज्ञापन भी दिया गया। साथ ही तथ्यान्वेशण का फैसला लिया। इस वक्त विरोध देश के कौने कौन में किया जा रहा है। अनेको संगठन व सभी राजनेतिक दल इस मुद्दे को उठा रहे है। कॉग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलेट, उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गडरा रोड पहुंचे। राज्य सरकार के राजस्व मंत्री अमराराम भी पहुंचे और इस बार अम्बेडकर जयंती पर डेल्टा मेघवाल का न्याय मुद्दा प्रमुखता से राज्य भर में कार्यक्रमों में उठाया गया।

2. परिचय

राजस्थान के 8 संगठनों ने 4, 5, 6 अप्रैल 2016 को संयुक्त जांच दल गठित कर विस्तृत जांच कर तथ्यान्वेषण किया। जांच अभी भी जारी है। दल में निम्न संगठन के व्यक्ति थे–कविता श्रीवास्तव, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टिज, राजस्थान (PUCL), सुमन देवठिया, अन्जू, मनीषा, ऑल इण्डिया दलित महिला अधिकार मंच (AIDMAM), सुमित्रा चौपड़ा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (AWIDA), निशा सिद्धू, नेशनल फैडरेशन फॉर इण्डियन वूमन (NFIW), तारा चन्द, हूमन राईटस लॉ नेटवर्क (HRLN), चेतरनराम, उरमूल ज्योति संस्थान, हंसराज, इन्सटीटयूट फॉर जस्टिस पीस एण्ड हयूमन डवलपमेट व मंजू, विशाखा महिला शिक्षा व शोद्य संस्था एवं पी.यू.सी.एल. राजस्थान के 6 इन्टर्नस, सुष्मीता मीश्रा, राजेश्वरी फोगट, प्रिन्सी कुमारी, नीरज अहीरवार, आयुषी अग्रवाल, एश्वर्या पारासर।

दल ने विस्तृत तथ्य जुटाये है और बीकानेर पुलिस आई.जी. गिरीराज मीणा बिकानेर एस.पी. डॉ. अमनदिप सिंह व जांच अधिकारी सतनाम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, नौखा एस.एच.ओ पूजा यादव आई.ए.एस, एस.आई रामकेश इत्यादि पुलिसकर्मियों सभी से मुलाकात की व तथ्यों पर चर्चा हुई। हमने नौखा के जैन आर्दश सेवा संस्थान के विभिन्न शिक्षण संगठनों के अध्यक्ष इश्वर चंद बैद व सचिव जगदीश चंद लोढा, वार्डन प्रिया शुक्ला, उसके पति प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला, ए.एन एम लीना गुप्ता, चौकिदार हनुमान नायक से लम्बी बातचीत की। डेल्टा मेघवाल के साथ छात्रावास में रह रही तीन साथी जिनके साथ उसने अपनी अन्तिम रात बिताई, से उनके गांव जाकर मुलाकात की जो नागौर व बीकानेर जिले के अलग–अलग कोने में वे थे। नौखा में स्थित उरमूल ज्योति संस्था के प्रमुख चेतनराम व अन्य कार्यकर्ताओं से गत दिनों की डेल्टा मेघवाल काण्ड को लेकर हुई गतिविधियों की समीक्षा की गई, साथ ही 20 से अधिक आम नागरिक, दलित संगठनो के प्रतिनिधि व अम्बेडकर शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों से संवाद हुआ व स्थानिय आंदोलन पर चर्चा हुई। बाडमेर के गडरा रोड़ क्षेत्र के त्रिमोही गांव में डेल्टा के परिवार के सभी लोग, खासतौर से पिता महेन्द्र राम मेघवाल, दादा, माँ, 2 भाई व छोटी बहन के साथ काफी समय बिताया। उस दिन शाम को गांव के सरपंच सहित 50 से अधिक लोगों के साथ बैठक हुई, जिन्होंने डेल्टा व इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली।

3. जांच निम्न सवाल पर केन्द्रित हैः–

1. डेल्टा मेघवाल की मृत्यु, हत्या या आत्म हत्या
2. क्या डेल्टा मेघवाल के साथ कॉलेज परिसर में बलात्कार व यौनिक हिंसा हुई ?
3. क्या सबंधित पुलिस व प्रशासिनक अधिकारियो ने दलित बालिका के साथ यौनिक हिंसा और बलात्कार के इस गंभीर मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित किशोर न्याय अधिनियम, यौनिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधानों की पालना की, व एफ.आई.आर और जांच में कानून की उचित धाराऐं जोड़ी कर कार्यवाही की जा रही है ?
4. कॉलेज प्रबन्धन व सरकार के जिम्मेदार अधिकारियो का बालिका यौन शोषण व हत्या को लेकर असंवेदनशील व गम्भीर ना होना, साथ ही अनियमितताऐ बरतना।
5. क्या कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रावास में रह रही बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था की अवहेलना की व विभिन्न शिक्षण संस्था में कार्य स्थल पर यौन हिंसा कानून, 2013 का उल्लंघन किया ?

3.1 डेल्टा मेघवाल की मृत्यु, हत्या या आत्म हत्या ? पुलिस क्यों आत्म–हत्या बनाना चाह रही है ?

डेल्टा मेघवाल की मृत्यु के सबंध में पुलिस थाना नौखा में एफ.आई.आर. नं. 146/2016 दिनांक 30.3.2016 को धारा 302, 201, 34 आईपीसी व 3 (I) (XII) एससी/एसटी एक्ट व धारा 5, 6 POCSO एक्ट के अन्तर्गत उसके पिता द्वारा मृत्यु के 24 घण्टे बाद दर्ज करवाई गई, और पोस्टमार्टम एफ.आई.आर दर्ज करने के भी 24 घण्टे के बाद दिनांक 31 मार्च 2016 को करीब सुबह 9 से 10.30 बजे के बीच किया गया, यानि हत्या के 48 घण्टे के बाद। पुलिस ने हत्या के इस गंभीर मामले में आज दिन तक सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमे मुख्य आरोपी विजेन्द्र सिंह पी.टी.आई., छात्रावास वॉर्डन प्रिया शुक्ला व उनके पति प्रज्ञ प्रतीक शुक्ला प्रधानाध्यापकश्री जैन आर्दश विद्या निकेतन है।

इस घटना के बारे में जब पुलिस से बात की तो उनकी बातो से यह आभास होता है कि घटना के सबंध में बीकानेर पुलिस का मानस बन चुका है, व जांच अधिकारी फाईल पर तय कर चुके है कि यह मौत डूबने से हुई है **अतः आत्म–हत्या** है। जांच अधिकारी व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने यह बात/तथ्य 3 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से पुनः मांगे हुये मत व डायकन टेस्ट के आधार पर कहा है। पुलिस इस मामले का अन्वेषण अब आई.पी.सी. की धारा 306 जिममें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अपराध दिया गया है, ना कि 302 हत्या का अपराध।

हमारा मानना है कि इस वक्त पुलिस की जांच बहुत ही शुरूआती दौर में है और 302 को 306 में परिवर्तित करना या हटाना में जल्दबाजी की जा रही है। जिससे हम सहमत नही है।

3.1.1 क्यों 302 आई.पी.सी. की धारा नहीं हटानी चाहिए।

एक बार फिर हम मृत्यु के तथ्य दौहराना चाहेंगे : दिनांक 29 मार्च, 2016 की सुबह 7 बजे के बाद डेल्टा मेघवाल (छात्रा द्वितीय वर्ष, BSTC, आर्दश जैन कन्या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, नौखा, जिला बीकानेर) की मार्मिक रूप से मृत्यु हुई। संस्था परिसर में स्थित कोने में छात्रावास व भोजन शाला के बीच बनी 8 फीट गहरी जिसमे 6 फीट पानी व 15X15 फुट लम्बी–चौड़ी पानी की कुण्डी में उसकी लाश सुबह 11 बजे के बाद चौकीदार हनुमान नायक द्वारा पाई गई। डेल्टा मेघवाल की मृत्यु ने पिछले 12 घण्टे के घटनाक्रम का पटाक्षेप कर दिया। 28 मार्च 2016 की रात करीब 12.20 बजे छात्रावास के कमरे में सो रही लीना गुप्ता (ए.एन.एम.) को मुख्य द्वार खुला मिला और डेल्टा मेघवाल को अपने बिस्तर पर न पा कर उसकी खोजबीन अन्य तीन आवासनियों के साथ शुरू की गई। कुछ समय पश्चात लगभग 200 मीटर के दायरे में रह रही वॉर्डन को भी सूचित किया, जिसने पहले खुद फिर अपने पति व लीना व अन्य तीन आवासनियों के सहित खौजबीन की। काफी समय बाद संदीग्ध अवस्था में पाये गये पी.टी.आई. विजेन्द्र सिंह के कमरे में डेल्टा मेघवाल पाई गई। रात के 3 बजे तक वॉर्डन प्रिया शुक्ला व उनके पति प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला, ए.एन.एम. लीना गुप्ता आदि ने पुलिस को सूचित करने के बजाए अपने घर ले गए जहां दोनों से माफी नामा लिखवाया जैसे कि नाबालिग डेल्टा मेघवाल अपने मर्जी से उस रिश्ते में थी।। लीना गुप्ता का कहना है कि 3.15 बजे वे डेल्टा को छात्रावास के कमरे में लेकर आये और वह एकदम ''सामान्य'' थी । यह पूछने पर कि क्या डेल्टा को डांटा या मारा या प्रताड़ित किया जोकि स्वभाविक भी माना जा सकता है, आखिर बीच रात में सभी के लिए चिन्ता जनक स्थिति बनी रही होगी क्योंकि डेल्टा गायब थी। इस पर वार्डन ने कहा कि हम प्रशिक्षित शिक्षक हैं लडकी को तो डांटा ही नही, हाथ उठाना तो दूर, बल्कि प्राधानाचार्य ने विजेन्द्र सिंह को डांटा। इस तरीके से इन्कार किया गया कि बिल्कुल भी आवाज तक नही उठाई गई यह बात पूरी तरह बनावटी लगी। इसके बारे में डेल्टा की एक

सहपाठी का कहना था कि वह ज़रूर आकर सो गई लेकिन वह बहुत ज्यादा तनाव में थी। लड़कीयों का कहना था कि जब डेल्टा पी.टी.आई के कमरे में एक बजे के बार पाई गई तो उन्हे छात्रावास में भेज दिया गया इस लिए उन्हे पता नही की डेल्टा के साथ क्या सुलुक किया। एक आवासनी का कहना था कि जब उसकी आंख सुबह 6 बजे खुली तो डेल्टा अपने बिस्तर पर नही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद डेल्टा कमरे में आई और वापिस बिस्तर पर आ गई। रोज की तरह जब वे करीब सुबह 6.50 बजे उठे तो डेल्टा भी उठी हुई थी। जब तक यह आवासनी अपने टूथपेस्ट अपने ब्रश पर लगाया, तब तक डेल्टा बाहर निकल गई। वे तुरन्त बाहर आईं। लिना गुप्ता उस वक्त बाहर निकल ही रही थी वे भी निकल आई। वहां बाहर वॉर्डन प्रिया शुक्ला के ससुर (जिनका नाम शायद श्याम शुक्ला है) टहल रहे थे। उनसे जब डेल्टा के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो मैस व कुण्ड की तरफ गई है। चार लोग लीना गुप्ता, वॉर्डन के ससुर व दो आवासनी कुण्ड की तरफ गये और चारों ओर खोजने की कोशिश की। कुण्ड का ढक्कन हमेशा की तरह बन्द था उसे लीना ने उठाया और अन्दर झांका और उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। 10 बजे के पहले पानी हॉस्टल में खत्म हो गया था तो परमेश्वरी और मंजू पंप चालू करने गईं और उसी कुण्ड से मोटर चलाकर छात्रावास की टंकीयों में पानी भरा गया। उसके बाद मोटर को किसने बंद किया, यह सूचना न लीना को पता न अन्य छात्राओं को।

हमारा मानना है कि 5 फुट 6 इंच से भी ज्यादा लम्बी लम्बी डेल्टा मेघवाल अगर डूबी होती तो 7:00 बजे सुबह जब लीना, अन्य छात्राओं व श्याम शुक्ला ने झांकर देखा तो जरूर कुछ न कुछ दिखता। लीना गुप्ता ने व तीनों छात्रावास आवासनियों ने यह बात अपनें बयानों में पुलिस को बताई जो विडियो टेप भी हुए। लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। यह तथ्य हमने पुलिस के अधिकारियों को बताया और 6 अप्रैल को एक आवासनी को पेश किया। तब वह पुनः हरकत में आए और खुद 7 तारीख को घटना स्थल पर गऐ।

- हमारे दल का मानना है कि वह कुण्ड का मुह, ऊपर की तरफ 2X2 फिट खुलता है लेकिन अन्दर चौडाई संकरी हो जाती है, लगभग 4 इंच का पत्थर दो तरफ से निकल रहा है जिससे कुण्ड के मुंह से अन्दर की ओर छोटा हो जाता है।
- बिना किसी के सहारे किसी का कूदना आसान नहीं है क्यांकि चौड़ाई संकरी है व ढक्कन लोहे की मोटी चद्दर का बना होने के कारण बिलकुल नहीं रूकता है।
- साथ ही डेल्टा हॉस्टल के बाहर करीब 7 बजे निकली है तो हॉस्टल वार्डन प्रिया शुक्ला के ससुर बाहर टहल रहे थे और लीना भी तभी बाहर निकली थी, लड़कियां भी पिछे ही थी तो वह ढक्कन बिना जोर से आवाज़ किये बन्द नहीं होता। जो सभी हॉस्टल के अन्दर व बाहर को सुनाई पड़ता। हमारे दल ने अनेक बार ढक्कन को गिरा के सुना और देखा कि दूर तक आवाज सुनाई देती है, हॉस्टल मे तो सुनाई हर हालत में दिया होगा ऐसे कैसे संभव है कि छात्राएं, लीना, श्याम शुक्ला ने आवाज को नहीं सुना। जबकि आधे से ज्यादा लोग तो बाहर ही घूम रहे थे।
- अगर डेल्टा ने कुण्ड का ढक्क्न उठा कर अन्दर कुदने की कोशिश की तो ढक्कन उसके सिर पर गिरा होगा। (वह ढक्कन एक पल भी बिना पकडे खडा नहीं हो सकता) अगर वह गिरा होगा तो सिर पर जरूर चोट आई होती व खोपड़ी की हड्डी भी टूटी होती। मेडिकल रपट के अनुसार सिर पर कोई चोट नहीं है।

पुलिस का मानना है कि सुबह 7 बजे जब कुण्ड खोला गया था तब भी डेल्टा उसी में थी, पर दिखी नहीं और 11 बजे दिखी क्योंकि 3–4 घण्टे शरीर ऊपर आ गया इसलिए तब दिख गई। पुलिस का यह भी कहना है कि क्योंकि श्याम शुक्ला ने उसको अकेले में कुण्ड की तरफ जाते हुए देखा और कुछ समय बाद ही अन्य लोग उसके खोजते हुए वहा पहुंच गये, इस लिए कोई

ओर उसे गिरा नही सकता। उनका यह भी कहना कि चुन्नी, चप्पल सभी कुण्ड के अन्दर मिला इससे स्पष्ट हैकि वह खुद ब खुद अन्दर कुदी है। पी.टी.आई., प्रधानाचार्य, व अन्य सुबह 7 बजे से ही स्कूल में थे, बहुत सारे गवाह इसके लिए है। इस लिए उनका हाथ नही हो सकता

पुलिस के इस निष्कर्ष से हम सहमत नहीं है कि डेल्टा खुद उस कुण्ड में कूदी थी और वह डूब गई। पुलिस को अभी भी विशेषज्ञ बुलाकर इस तथ्य की पुष्टी करनी चाहिए कि डेल्टा उस कुण्ड में कैसे कूदी, ढक्कन की आवाज क्यों नही सुनाई पड़ी, लोहे की भारी चदृदर के बने ढक्कन से उसके सिर पर चोट क्यों नही आई, या हड्डी क्यों नही टूटी। मोटर चलाने से कुण्ड में पानी कम हुआ होगा तो फिर शरीर उपर आया होगा या नीचे गया होगा। पुलिस को इन सवालो का जवाब विशेषज्ञ से प्राप्त करना चाहिए ना कि अनुमान कर धारा बदल कर 302 समाप्त कर दी जाये।

3.1.2 हत्या की जांच को लेकर अन्य सवाल

- परिसर के सात अन्य कुण्ड मे ताले थे और इस कुण्ड में ताला क्यों नहीं लगता था। 11 बजे हनुमान चौकिदार इसी कुण्ड के ढक्कन को उठाते है और उन्हें उसके बाल दिखे। पूर्व में भी एक घटना इसी कुण्ड में घटी थी जिसमें एक बिहारी मजदूर की लाश पाई गई थी। फिर भी इस कुण्ड को ताला नही लगाया।
- हमारा मानना है कि जितनी संभावना अवसाद में आत्महत्या की है उतनी ही संभावना उसको अन्दर धकेले जाने की भी है। डूबने से मौत हो जाने के दो तरीके हैं। मौत तो तरिके से जा सकती है स्वंय कूद कर या धक्का देने से।

एक शब्द जो हमें बार–बार सता रहा है कि लड़की ''सामान्य'' Normal हो गई थी, कि उसे कमरे में सोने भेज दिया, निगरानी रखने की जरूरत नहीं पड़ी, हॉस्टल के गेट पर भी अन्दर से ताला नही डाला और वह करीब 7 बजे सुबह फिर निकल गई।

- रात की घटना क्या इतनी सामान्य घटना थी कि सुबह 7 बजे बाल अपराधी विजेन्द्र सिंह पी.टी.आई. को स्कूल प्रधानाचार्य प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला अपने साथ स्कूल ले जाते है और सुबह की पी.टी.ए. बैठक व परीक्षा नतीजे की तैयार करने देते हैं। पुलिस को सूचना देना तो दूर अपराधी विजेन्द्र सिंह के साथ सम्मान जनक ढंग से पेश आते हैं। उसे अभिभावक व छात्रों से रूबरू होने दिया गया। कहीं प्रधानाचार्य व वॉर्डन का कोई हाथ तो नही कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को ''सामान्य'' रंग दिया। इसकी भी बारीकि से जांच होनी चाहिए।

लेकिन कुछ अन्य सवाल है जिससे लगता है कि इस पूरे प्रकरण को ढकने कि कोशिश की गई।

- (अ) उस दिन यह कैसा संयोग की 11 बजे के बाद जब अभिभावक शिक्षक (पी.टी.ए.) बैठक और परीक्षा नतीजे का काम खत्म होने के बाद ही चौकिदार को लड़की मिलती है और संस्था सचिव जगदीश मल लोढा भी तभी आते हैं और कुछ समय बाद 12 बजे ही ही संस्थान के अध्यक्ष ईश्वर चन्द बैद आ जाते है। जब हमने वॉर्डन से पूछा कि क्यों नहीं अध्यक्ष व सचिव को रात की घटना व डेल्टा के गायब होने के बारे में बताया तो उनका कहना था कि क्योंकि सुबह पी.टी.ए. बैठक थी और 7 बजे से ही प्रधानाचार्य व्यस्त हो गए थे इसलिए सोचा कि 11/12 बजे तो वह आ ही जायेंगे तो बता देंगे। हम तो उसे ढूंढन के लिए बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन व बाजार इत्यादि चौकिदार को तो भेजा ही था। ***साथ यह भी जोड़ा अध्यक्ष सुबह से 10–11 बजे तक मौन रखते हैं। कोई***

ज़रूरी सूचना देनी होती है तो उनके घर के व्यक्ति को कहना पड़ता है जो उन्हे बताते है। हमे लगा कि रात की घटना ऐसे किसी तीसरे व्यक्ति को कैसे बता दें। उनका यह भी कहना था कि बैद अक्सर बोलते है कि उनके आने पर ही दी सूचना दी जाए।

- जब बैद अध्यक्ष व सचिव लोढा से पूछा गया, तो उनका कहना था कि काश कोई उन्हें रात में ही बता देता वे इस अनहोनी को टाल देते। डेल्टा को घर ले जाते। जगदीश मल लौढा का कहना था कि उन्होने करीब 11:45 बजे बैद्ध को फोन किया जब उन्हे मालूम चला कि कुण्ड में डेल्टा की लाश मिली है। इसके कुछ ही देर बाद वे आ गये। गलती रात में परिसर में स्थित प्रधानाचार्य उनकी पत्नि व वार्डन प्रिया शुक्ला ने इसे गंभीरता से नही लिया।

  यह भी कथन हमें झूठा नजर आ रहा है, कि ऐसा कैसे बीच रात इतनी बड़ी घटना और उसकी सूचना संस्था अध्यक्ष को नहीं दी गई। हमें यह भी शक है कि शायद पहले से ही मालूम पड़ गया था कि डेल्टा का शरीर कुण्ड में मिल गया लेकिन स्कूल में अभिभावकों के होने के कारण बदनामी के डर से सूचना को ढके रखा जिससे हंगामा ना हो जाए। इस सवाल की जांच जरूरी है। सभी की फोन कॉल डिटेल्स की विस्तृत जांच होनी चाहिए।
- अगर वाकई सहानुभूति होती तो डेल्टा के पिताजी को क्यों नहीं दोपहर 12 बजे फोन पर बताया गया। साथ ही जब 29 मार्च को 1.30 बजे दोपहर में नोखा पुलिस थाने के एस आई रामकेश का फोन डेल्टा के पिताजी महेन्द्र राम मेघवाल, के पास पहुंचा और उन्होंने बेटी की मौत की खबर को पुष्ट करने के लिए ईश्वर चन्द बैद को फोन किया, तो बैद ने झूठ बोला कि वे बाहर हैं और वे पूछ कर बताते है। अनेको बार फोन करने पर भी बैद ने फोन नहीं उठाया और बाद में स्वीच ऑफ कर दिया।
- ईश्वर चन्द वैद्य को इसलिए बचाया जा रहा है क्यों कि वे संघ के कार्यकर्ता है, उनके कॉल डिटेल निकलाकर पुष्टि की जाये की क्या उस रात व सुबह उनके पास वॉर्डन या प्रधानाध्यापक का कोई फोन आया था। डेल्टा के साथ हादसों की सूचना देने। जब हम 3 अप्रैल को गृहमंत्री गुलाब चन्द कटारिया से मिले तो उन्होंने एक तरिके से मानस बना लिया था कि ईश्वर चन्द बैद्य की गिरफ्तारी नहीं की जायेगी। उनका कहना था कि प्रबन्धक सचिव की कोई भूमिका नहीं थी। क्योंकि वे परिसर में नहीं थे हालांकि स्थानिय कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनका घर 1 किमी. दूर भी नहीं है, जरूर उनको मौखिक सूचना कोई न कोई देने गया होगा।

हमारा कहना है कि पुलिस अभी उसे आत्महत्या के प्रेरित जांच न बना दे और 302 की पुख्ता जांच करे। पुलिस द्वारा 7 अप्रैल को घोषित करना कि अब जांच 306 में होगी, से हम कतई सहमत नहीं हैं जब तक विशेषज्ञ द्वारा इसकी पुष्टि नहीं होती और हमारे सवालों के जवाब नही मिल पायें।

3.2 क्या डेल्टा मेघवाल के साथ कॉलेज परिसर में बलात्कार व यौनिक हिंसा हुई ?

डेल्टा मेघवाल के पिताजी महेन्द्रराम मेघवाल द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया कि 28 मार्च को करीब प्रातः 11 बजे डेल्टा कॉलेज परिसर पहुंची और शाम 8 बजे जब उनकी बात चीत डेल्टा से हुई तो ''मेरी पुत्री ने फोन पर डरते हुए बताया कि छात्रावास की वार्डन प्रिया शुक्ला ने आज शाम को कमरे की सफाई का बहना करके मुझे पी.टी.आई. विजेन्द्र के कमरे में भेजा। यहां विजेन्द्र सिंह ने मेरे साथ बलात्कार किया और कहा कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। तब मैने मेरी पुत्री को कल छुट्टी लेकर नोखा आने के लिए कहा। कल दिनांक 29.03.2016 को नोखा पुलिस थाना से फोन आया कि आपकी पुत्री डेल्टा मृत अवस्था में छात्रावास

के पानी के कुण्ड में मिली है। मेरी नाबालिग पुत्री कु. डेल्टा श्री जैन आदर्श कन्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान रायसर रोड नोखा के नियंत्रण एवम संरक्षण में रह रही थी। होली की छुट्टियों के कारण छात्रावास मे मात्र चार छात्राएं ही थी। जिसका फायदा उठाकर विजेन्द्र सिंह ने वार्डन प्रिया शुक्ला के सहयोग से मेरी पुत्री को हवस का शिकार बनाया और उसके साथ बलात्कार कर साक्ष्य मिटाने के लिए छात्रावास की पानी की कुंडी में डालकर उसकी हत्या कर दी। उनके इस कृत्य में संस्थान संचालक ईश्वरचन्द वैद का भी हाथ रहा है उन्हें सारी जानकारी होने के बावजूद भी उन्होंने वार्डन प्रिया शुक्ला एवम पी.टी.आई. विजेन्द्र सिंह को बचाने के लिये मुझे कोई जानकारी नहीं दी।

इस आधार पर पुलिस ने कानून की धारा 302 के साथ POCSO कानून की धारा 5 व 6 सहित धारा 376 (ग), 201 व 34 (भ.द.स.) धारा 3(I)(XII) एस.सी. व एस.टी. कानून 1989 लगाया।

28 मार्च की रात की घटना को पुनः देखने की जरूरत है। वार्डन प्रिया शुक्ला, ए.एन.एम. लीना गुप्ता व अन्य का कहना था कि 28 मार्च की रात 12 बजे के बाद जब डेल्टा मेघवाल गायब हुई तो काफी खोजने के बाद वह पी.टी.आई. के कमरे में मिली। प्रिया शुक्ला व उसके पति प्रज्ञ प्रतीक शुक्ला ने उन दोनों को अपने क्वाटर में ले गये और एक गैर **कानूनी** माफीनामा लिखवाया गया।

डेल्टा मेघवाल से लिखित माफीनामा में लिखवाया गया है कि *''आज दिनांक 28 मार्च की रात 12.15 ए.एम. पर मैं आंवला लाने के लिए विजेन्द्र सिंह सर जो कि जैन स्कूल में पीटीआई है के घर गई जो विद्यालय परिसर में ही निवास करते है मैने उनको दरवाजा खटखटाया और उन्होंने अन्दर आकर कुर्सी पर बैठने के लिए कहा मैं वहीं पर थी। उसी समय हास्टल वार्डन ने मुझे कमरे से बाहर निकाला''*।

वहीं विजेन्द्र सिंह ने अपने द्वारा माफीनामा पत्र में लिखा है कि, *''आज दिनांक 28.03.2016 को रात्रि के समय में मेरे कमरे में हॉस्टल की एक लडकी आई और मुझसे दरवाजा खोलने के लिए कहा तो मैंने दरवाजा खोल दिया। वह कमरे के अन्दर आ गई तथा कुर्सी पर बैठ गयी। 15–20 मिनट बाद हॉस्टल वार्डन ने दरवाजा खुलवाया तो दरवाजा खोल दिया''।*

वार्डन प्रिया का कहना था कि यह माफीनामा इसलिए लिखवाया और मसला पुलिस को सूचित नहीं किया क्योंकि डेल्टा ने कहा कि अगर उसके पिताजी को मालूम पड़ा ***तो वह मर जायेगी या मार दी जायेगी।*** इसलिए उन्होंने उसका खुलासा पुलिस को नहीं किया। उनका यह भी कहना था कि दोनों लडकी और पी.टी.आई. सामान्य स्थिति में थे इसलिए उन्होनें इस मसले को बडा नहीं बनाया।

दरअसल 28 वर्षिय पीटीआई और 17 वर्षिय डेल्टा को उस रात कॉलेज स्टाफ ने दोनों के बीच के रिश्ते को सहमति भरे रिश्ते के रूप में देखा है। वे वर्तमान में बच्चो के संरक्षण के कानून जैसे पोक्सो कानून, किशोर न्याय कानून के तहत या संशोधित भारतीय दण्ड सहिता के तहत या एस.सी.एस.टी. अत्याचार निवारण कानून के तहत सभी में कहा गया है ***कि अगर व्यक्ति ड्यूटी पर हो, या किसी नियंत्रक या प्रभावी पद पर हो तो उसे गंभीर यौनिक हिंसा मानी जायेगी, जिसके तहत अगर बलात्कार है तो पोक्सो कानून की धारा 5/6 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (f) के तहत 10 साल से आजीवन कारावास की सजा व एस. सी/एस.टी एक्ट की धारा 3 (2) (v) के तहत 5 से 10 साल की सजा ।***

संस्था स्टाफ ने इसे बहुत हल्के से लिया, ऐसा क्यो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डेल्टा की दोस्तों का कहना था कि डेल्टा रात्री के अन्धेरे में पी.टी.आई. का घर जो करीब 200 मीटर दूर

था वह अकेले जा ही नहीं सकती, उसे डर लगता था। जरूर वह उसे लेने आया होगा। क्या परिस्थिति रही होगी कि उसे जबरदस्ती ब्लैकमेल करते हुए ले जाया गया। इस बात को वॉर्डन गौण कर गई। उन्होंने यह भी जानने की कोशिश नहीं की लड़की से क्या पूर्व मे पीटीआई ने कभी यौनिक शोषण किया हो, जो पिता ने एफआईआर में कहा है। यह भी समझने की कोशिश नहीं की कि इस घटना से उसका आत्म सम्मान व आत्म विश्वास पर क्या होगा। उन्होंने उसको दोषी ही माना जो वर्तमान बाल यौन उपराध कानून के विरूद्ध है। बल्कि स्पष्ट रूप से धारा 5 एफ, में कहा गया है कि ***अगर प्रबंधक या कर्मचारी किसी शैक्षणिक संस्थान या जिम्मेदार पद पर कार्यरत व्यक्ति द्वारा बलात्कार या यौन हिंसा की जाती है, तो बालिका को नही साबित करना पड़ता है कि उसके साथ अपराध हुआ है, बल्कि आरोपी को साबित करना पड़ता है कि उसने अपराध नही किया। यहां तो लड़की को भी आरोपी बना दिया गया।***

मेडिकल रपट में डॉक्टरों ने हालाकि यौन सम्बन्ध होने का इंकार किया, लेकिन लड़की के शरीर पर पहने अण्डरवीयर, पी.टी.आई के अण्डरवीयर व उसके बिस्तर की चद्दर से लिया या पदार्थ के एफ.एस.एल परीक्षण से आदमी के **वीर्य (सीमन) व शुक्राणु की पुष्टि हुई है**। इसके अलावा परिस्थिति जनक साक्ष्य भी स्पष्ट है साथ ही लड़की नाबालिग व दलित है।

इस वैज्ञानिक नतीजे से स्पष्ट कहा जा सकता है कि लड़की साथ प्रवेशण लैंगिक हमला हुआ व से लिखवाया गया माफी नामा वास्तविक तथ्यों को छीपाकर लिखा गया है, जो गैरकानूनी है। पुलिस को भारतीय दण्ड सहिता की धारा 376 (2) (f) व अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित 2015 के तहत 3 (2) (5) की धारा तुरन्त लगानी चाहिए।

3.3 क्या सबंधित पुलिस व प्रशासिनक अधिकारियो ने दलित बालिका के साथ यौनिक हिंसा और बलात्कार के इस गंभीर मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित किशोर न्याय अधिनियम, यौनिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के प्रावधानों की पालना की, व एफ.आई.आर और जांच में कानून की उचित धाराऐं जोड़ी कर कार्यवाही की जा रही है ?

3.3.1 बाल सुरक्षा कानूनों की अवहेलना –

अ. पोक्सों कानून के तहत अगर संचालक यौनिक हिंसा की सूचना सबंधित पुलिस को नही देता है तो धारा 21 के तहत उसे 1 साल की सजा से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। यहां तो इन कानून प्रावधानों की खुलेरूप उवहेलना की गई है।

ब. संशोधित अपराधिक कानून व संशोधित अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 की धारा 3 (i) (w) (ii) दोनों के तहत कहा गया है कि किसी भी सुरत में अपराध जांचते समय पीड़िता के यौनिक इतिहास को नहीं देखा जायेगा। फिर भी पुलिस का एक हिस्सा लगातार पीटीआई व डेल्टा के कॉल रिकॉर्ड निकाल कर बाल यौन अपराध को हल्का बना रही है जिसका हम विरोध करते है।

सिर्फ पुलिस ही नही प्रदेश की मुख्यमंत्री ने भी आरोपियों को सजा दिलवाने का आश्वासन देने की बजाये डेल्टा मेघवाल के चरित्र पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि वह खुद ही गलत थी तभी उसने आत्म हत्या की है, यह राय उन्होने दलित नेतृत्व का एक दल को 4 अप्रेल 2016 की मुलाकात के दौरान कही। इस कथन से डेल्टा मेघवाल के पिता महेन्द्र मेघवाल व जे.एन.यू. का छात्र सुधीन्द्र मेघवाल व गांव के अन्य लोग दुखी थे, क्योंकि प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व अगर बाल संरक्षण कानूनो कि आत्मा के विपरित सोच रखेगे तो पुलिस व प्रशासन से न्याय की कोई उम्मीद नही की जा सकती है।

स. पोक्सो कानून के प्रस्तावना व धारा 23 (1) व (2) व बाल अपराध की धारा 24 और 74 में स्पष्ट कहा गया है कि बालक–बालिका की किसी भी सूरत में विरोधी बात नहीं की जानी चाहिए, जिससे निजी सूचना बाहर आये और न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर गोपनियता भंग नहीं होनी चाहिए व उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। पुलिस व मिड़िया का एक तपका लगातार इस अपराध को हल्के करने के प्रयास में लड़की निजता भंग कर रहे है, हम इसका विरोध करते है।

3.3.2 द. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 उचित धाराऐ जोड़ना ।

मृतक डेल्टा एक अनुसूचित जाति के परिवार की सदस्य है, जबकि सभी आरोपी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। तथा आरोपी यह भलीभाति जानते थे कि मृतका डेल्टा अनुसूचित जाति की सदस्य है, और नाबालिग है, विरोध करने में असक्षम है, आरोपी ने इस बात की जानकारी रखते हुए डेल्टा के साथ नजदीकिया बढ़ाई, बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी, जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 1989 की धारा 3 (2) (VA) के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपति के विरूद्ध, **यह जानते हुए** करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है या वह संपति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथाा विनिर्दिष्ठ दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

इस प्रकार अन्य आरोपी .अध्यक्ष इेश्वर चंद बैद व सचिव जगदीश चंद लोढा, वार्डन प्रिया शुक्ला, उसके पति प्रज्ञा शुक्ला, और ए.एन एम लीना गुप्ता जो कि कॉलेज के महत्वूपर्ण व्यक्ति है, कॉलेज परिसर में होने वाली हर तरह की घटना, दुर्घटना को रोकने, बच्चों की सुरक्षा की प्रथामिक जिम्मेदारी रखते है, को पूर्व से ही आरोपी विजेन्द्र सिंह के कृत्य और डेल्टा के सामाजिक स्तर की जानकारी थी, उन्होने जानबूझकर आरोपी द्वारा दलित नाबालिग लड़की के साथ किये जा रहे घिनौने कृत्य को छीपाने का प्रयास किया, कानून के तहत तय किये गये दायित्व का पालन नही किया, प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से आरोपी को प्रोत्साहित कर अपराध को बढ़ने में मदद की है, आरोपी को दण्ड से बचाने के लिए पुलिस को घटना की सही व पूरी जानकारी उपल्बध नही करवा रहे है। जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है, सभी आरोपी समान दण्ड दण्डित किये जाने का कानूनी आधार है।

एक तथ्य जो पुलिस के विभिन्न अधिकारियों ने गौण किया है कि वह पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में संकेत देना कि डेल्टा क्योंकि दलित थी, इस लिए उससे साफ–सफाई, बर्तन, झाड़ू, पौछा, कपड़े धुलवाना आदि का काम करवाते थे। उन्होने जांच दल को बाड़मेर में भी बताया कि कुछ समय से डेल्टा का कहना था कि उन से इस तरह के काम करवाये जा रहे है और क्योंकि उसने करने से इन्कार किया तो उसके साथ प्रताड़ना देना शुरू कर दिया। उनका यह भी मानना था कि क्येांकि डेल्टा स्वाभीमानी थी, इस लिए उसके साथ उस रात घौर अपमान व प्रताड़ना दी गई होगी।
पुलिस द्वारा इस तथ्यो व संबधित धाराओं को जांच में शामिल नही किया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है। अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 व संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 3 (1) (R) (S) को जोड़ी जानी चाहिए।

3.4 कॉलेज प्रबन्धन व सरकार के जिम्मेदार अधिकारियो का मृत बालिका की लाश को लेकर असंवेदनशील से पेश आना, साथ ही अनियमितताऐ बरतना।

- जब पुलिस ने डेल्टा की लाश को कुण्ड से निकाला तो बॉडी को मुर्दाघर पहुंचाने के लिये नगरपालिका के जिस ट्रेक्टर को बुलाया गया, उसमें मृत पशु व कचरा उठाया जाता है। स्कूल प्रबंधन अध्यक्ष व नोखा थाना पुलिस ने इतनी बेरूखी व असंवेदनशीलता दिखायी कि ना ही केवल उस गंदे ट्रेक्टर में लाश को रख कर लेकर गये, बल्कि लाश का चेहरा दिखाते हुये बीच शहर से जाते हुये मुर्दाघर में छोड़ा। जब इस बात को हमने स्थानीय पुलिस थाने में उठाया तो नोखा इन्चार्ज पूजा यादव आई.ए. एस का कहना था कि नौखा में मृत शरीर को एम्बुलेंस में ले जाने की कोई परम्परा ही नहीं है, शहर में ऐसी एम्बुलेंस ही उपल्बध नही है। टेक्टर में ही लाशो को ले जाया जाता है। इस कथन को स्थानीय लोगों ने गलत ठहराया व इस हल्फनामा देने का तैयार थे। यहां तक कि उरमूल ज्योति संस्थान, नौखा के मुखिया चेतनराम का कहना था कि अगर पुलिस या स्कूल उन्हे फोन कर देती तो बहुत सारी संस्था एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाती।

  टीम का मानना था कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जिस तरीके से मौत के बाद भी डेल्टा की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया। संविधान की अनुच्छेद 21 के तहत गरीमा की रक्षा सिर्फ जिने तक ही सीमित नहीं है लेकिन मौत में भी गरिमामय व्यवहार एक मृत्य व्यक्ति के साथ किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की 2002 की पीठ ने आश्रय अधिकार अभियान की बेघर लोगों की मौत पर लगाई गई याचिका में कहा कि मृत व्यक्ति की लाश को सम्मान जनक रूप से रखने व सम्मान जनक रूप से अंतिम संस्कार उसके धर्म के आधार पर किया जाना चाहिए। 2009 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनिल अम्बावानी व दिलीप गुप्ता ने अपने फैसले में सरकार पर जिम्मेवारी दी गई है कि मानव मृत शरीर के मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नही किया जा सकता। डेल्टा की लाश के साथ जो अपमान किया गया उस अपराध के लिये नौखा एस.आई. रामकेश के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 4 के तहत् रामकेश के कठोर कार्यवाही की जावे। व ईश्वरचन्द बेद के खिलाफ उचित धाराओं में कार्यवाही की जायें।

3.5 क्या कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रावास में रह रही बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था की अवहेलना की व विभिन्न शिक्षण संस्था में कार्य स्थल पर यौन हिंसा कानून, 2013 का उल्लंघन किया ?

3.5.1 छात्रावास में चल रहा राम भेरोसे

जांच दल को जान कर हैरानी हुई की कोई भी पूर्णकालिक वार्डन नहीं लगी हुई। छात्रावास में वर्तमान में 16 छात्राएं थीं हालांकि क्षमता 50 छात्राओं की थी। वर्तमान में 3 कमरे में छात्राएं रह रही थीं, एक में 8 दूसरे में 3 व तीसरे में 5। अन्य कमरे बंद थे। वॉर्डन प्रिया शुक्ला जो 6 महिने पहले अपने पति प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला जो प्रधानाचार्य के पद पर श्री जैन आदर्श विधा निकेतन आए, तो उनके साथ आई थी। उनका कहना था कि वे मूलतः प्राथमिक कक्षा में शिक्षक हैं और उन्हे प्रबंधन ने वॉर्डन का अतिरिक्त भार दिया गया। उनका कहना था कि उन्हे केवल पानी, बिजली, सफाई व खाने की व्यवस्था देखने के अतिरिक्त भार दिया था। छात्रावास में रहने की जिम्मेवारी उनकी नहीं थी।

छात्रावास में हालांकि वार्डन का आवास बन्द पड़ा था। छात्रावास में लीना गुप्ता ए.एन.एम. हॉस्टल के एक कमरे में रहती थी जो मुख्य दरवाजे के बगल में है। उनका कहना था कि वे कुछ समय से ही रह रही थी, वह पहले जिस घर में रहती थी उसे उपप्रधानाचार्य को दे दिया गया, जो बाद में पी.टी.आई. को दे दिया। उनका यह भी कहना था कि क्योकि वह मूलतः संस्था की ओर से संचालित अस्पताल में कार्यरत है, तो वें छात्रावास में रात तभी बिताती है, जब रात्रि डयूटी नहीं होती।

इससे स्पष्ट हो गया कि आवासिनियां रात में अकेली रहती थी यहां तक कि छात्रावास के बाहर कोई चौकिदार अलग से नहीं लगाया गया। इसलिए पूर्व में भी लड़कियां बाहर गई हों, इसकी जानकारी किसे होगी। बल्कि 10 एकड़ (25 बीघा) में फैला हुआ अनेक भवनों के साथ परिसर में सिर्फ एक रात्रि चौकिदार के भरोसे है जो केवल परिसर के मुख्य द्वार पर तैनात रहता हैं। छात्रावास परिसर के मुख्य द्वार से लगभग 350 मीटर दूर है।

छात्रावास सुनसान इलाके में बना हुआ है जिसके पीछे एक स्कूल है जो रात में बन्द रहता है। यहां तक कि छात्रावास के जाली या दरवाजे पर ताला अन्दर की तरफ नही लगाया जाता, केवल कुण्डी लगाई जाती है। पूरे परिसर में पर्याप्त रोशनी भी नही थी।

छात्रावास की लड़कियों की रजिस्टर में आने जाने की व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर नहीं थी हमें मालूम पड़ा की 28 मार्च की शाम को सभी छात्रावास की आवासनियां अस्पताल गई थी लेकिन रजिस्टर में कोई इन्द्राज नहीं था। अन्तिम इन्द्राज रजिस्टर में उस दिन निम्न थे : डेल्टा सुबह 10.55 बजे, शकीला सुबह 11:45 बजे, परमेश्वरी दोपहर 4:00 बजे व मंजू 4:30 बजे आये।

स्पष्ट है कि छात्रावास राम भरोसे चल रहा था। आवासनियों के लिए बनाए दिशा निर्देश की कोई पालना नहीं थी। प्रबंधन ने पैसे बचाने के लिए पर्याप्त स्टॉफ नहीं रखा, न सुरक्षा गार्ड की पर्याप्त व्यवस्था की जिससे डेल्टा मेघवाल ने अपनी जान खो दी।

हमें हैरानी है कि जिले के एक शिक्षण संस्थान में इतना बड़ा काण्ड हो गया जिसने लड़कीयों की सुरक्षा व जीने के अधिकार का मखौल उडया है, और शिक्षा विभाग द्वारा या तो इन जैन शिक्षण संस्थाओं का कोई निरीक्षण नहीं किया गया या सिर्फ खाना पूर्ति की गई। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में जिस तरह लापरवाही बरत रहे है, उससे प्रतित होता है कि यह सब आरोपी संस्थान के दोषपूर्ण कार्य को संरक्षित कर रहे है, अपराध को बढ़ावा दे रहे है। हमारा मानना है कि विभाग द्वारा बरती जा रही है इस लापरवाही की भी उच्च स्तर पर निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए।

3.5.2 कार्य स्थल पर यौन हिंसा कानून का उल्लंघन

यह हैरानी कि बात है कि 9 दिसम्बर 2013 से लागू कार्य स्थल पर यौन हिंसा कि (रोकथाम व शिकायत निवारण) कानून को उस शिक्षण संस्थान में लागु ही नहीं किया गया जबकि प्रमुख ट्रस्ट जैन आदर्श सेवा संस्थान के 4–5 घटक संस्थाएँ है (1) आदर्श जैन कन्या शिक्षण, (2) जैन आदर्श कन्या महाविद्यालय (3) श्री जैन आदर्श विद्या निकेतन (यह उच्च माध्यमिक –सहशिक्षा विद्यालय है) (4) जैन कन्या बी.एस.टी.सी. इत्यादि। इन सभी संस्थाओं में पुरुष–स्त्री दोनों ही है। संस्था अध्यक्ष का कहना था कि सिर्फ महिला महाविद्यालय में 150 लड़कियां थी, बी.एस.टी.सी. में 98 लड़कियां (50 I^{st} & 48 II^{nd} Year) 2 वर्ष पूर्व बी.एस.टी.सी. में लड़के भी थे। जो संस्था प्रबन्धन ने सरकार को कहकर बदलवाया। बी.एड. में 50 छात्रा हैं। विद्या निकेतन में करीब कुल 235 बच्चे है। जिसमें 16 कुल शिक्षक है 11 पुरुष व 5 महिला शिक्षक थे। खुद संस्था अध्यक्ष ने बताया कि बी.एस.टी.सी. में कुल 5 शिक्षक थे जिनमें 4 पुरुष व 1 महिला व

बी.एड. में कुल 8 शिक्षक है जिनमें 5 पुरुष, 3 महिला है। महाविद्यालय व स्कूल में पी.टी.आई. विजेन्द्र सिंह पढ़ाता था क्योंकि शारीरिक शिक्षा एक विषय है। उपरोक्त आकंडो से उल्लेखित है कि जैन आदर्श सेवा संस्थान कि हर शैक्षणिक संस्था में पुरुष शिक्षक महिला शिक्षक से अधिक हैं व अन्य स्टाफ भी पुरुष हैं व पूरा प्रबंधन भी पुरुष है तब भी कार्यस्थल पर यौन हिंसा कानून को लागू नहीं किया।

क्या महिला व बाल विकास विभाग जो कार्यस्थल पर यौन हिंसा कानून, 2013 को लागू करने की नोडल विभाग है, कभी भी पता नहीं किया? इस संस्था के बारे में शिक्षा विभाग जो बी.एड., बी.एस.टी.सी. इत्यादि में छात्राओं को भेजता है तो कभी निगरानी नही रखी?

आखिर 2013 के कानून से पहले 1997 से ही कार्य स्थल पर यौन हिंसा के रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय का विशाखा फैसला लागू किया जा रहा था। इतना बड़ा उल्लंघन कैसे होने दिया। शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ 2013 कानून की धारा 26 (i)(ii) के तहत 50,000/– जुर्माना या इसका दुगना और मान्यता रद्द करने का नोटिस जारी करने चाहिए।

4. परिवार को सहयोग राशी व मुआवजा को लेकर सरकार की बेरूखी

सरकार की पिड़ित परिवार को सहयोग करने की मंशा इसी से स्पष्ट हो जाती है कि आज दिन तक कानून में तय की गई सहयोग राशी परिवार को पहुंचाई नहीं गई। निम्न विश्लेषण इस पुष्टि करता है।

4.1 अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम संशोधित 2015 के 1995 के नियम 12 (4) के तहत

अभी तक सरकार द्वारा सिर्फ 90 हजार रूपये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा डेल्टा के पिताजी को देने के लिए स्वीकृत हुये है। यह सहयोग राशी अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम संशोधित 2015 के 1995 के नियम 12 (4) के तहत तुरन्त सहयोग राशी प्रदान करने की बात कहीं गई है। नियम के सेडयूल परिशिष्ट 1 के तहत अगर गैर कमाने वाले सदस्य की हत्या या मौत हो जाती है तो ऐसे मामले में पीड़ित परिवार को 3 लाख 75 हजार मिलेगा जिसका 75 प्रतिशत हिस्सा पोस्टमॉटम के बाद दिये जाने का नियम है। जिसके तहत 3 लाख 75 हजार का 75 प्रतिशत 2 लाख 81 हजार बनता है। राजस्थान सरकार ने किस हिसाब 90 हजार का भुगतान की स्वीकृती निकाली है। 90 हजार तो नियमों के तहत मिलने वाली राशी का एक तिहाई हिस्सा है।

यह गलती को तुरन्त सुधार कर 2 लाख 81 हजार की स्वीकृती निकाल कर परिवार को देनी चाहिए।

4.2 पोक्सो कानून के तहत

दूसरी तरफ पोस्को कानून के नियम 7 के तहत मुआवजा व सहयोग राशी के बारे में कहा गया है। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, संशोधित नियमों के तहत बलात्कार व हत्या में 5 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। जिसके तहत 50 प्रतिशत एफआईआर व मेडीकल होने के बाद दिया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक 2 लाख 50 हजार रूपये इस प्रतिकर योजना के तहत क्यों नहीं दिये गये।

नियमों की धारा (3)(6) के तहत पिड़ित पक्ष केन्द्रीय व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं से भी सहयोग राशी ले सकते है। इसलिए वे अनुसूचित जाति जनजाति निवारण कानून 2015 के तहत 12(4) में सहयोग राशी के प्रावधान के तहत भी सहयोग मांग सकते है।

कुल मिलाकर इस वक्त डेल्टा के परिवार को 5 लाख 31 हजार रूपये तुरन्त मिलना चाहिए।

वैसे भी राजस्थान सरकार का 1 अप्रैल 2013 से मार्च 2015 का आंकडा स्पष्ट करता है कि 3752 प्रकरण पोक्सो के तहत दर्ज किये गये जिसमें केवल 63 मामलो में को ही मुआवजा राशी दी गई है। यह दर्शाता है कि 1.68 प्रतिशत ही पिड़ितों को पोक्सो के तहत मुआवजा राशी दी गई।

5. राजस्थान में पोक्सो कानून के तहत व दलित बालिकाओं पर हो रहे बलात्कार के आंकड़ो का सरसरी तौर पर विश्लेषण

राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एस.सी.आर.बी.) की रपट राजस्थान में अपराध वर्ष 2014 के बाद 2015 की बेवसाईड पर नहीं डाली गई है। इसलिए हम विश्लेषण के लिए 2014 का आंकड़ा देते हुये विश्लेषण करेंगे। हालांकि पोक्सो कानून 2012 में आया और 2013 नवम्बर से नियम भी लागू हो गये, लेकिन 2014 की रपट सिर्फ 191 मामलों को पोक्सो के अन्तगर्त दर्ज हुये दिखलाती है। लेकिन अगर महिलाओं के विरूद्ध अपराध को देखा जाये तो कुल बलात्कार के टेबल 10 के हिसाब से कुल 3759 मामले दर्ज किये गये है। हालांकि टेबल 12 में 3770 का आंकडा दिया गया है। इसमें टेबल 12 के हिसाब से 18 साल से कम उम्र के बलात्कार 827 मामले है। हालांकि टेबल 13 में कुल बलात्कार के अपराध 825। इसका मतलब कुल बलात्कार मसलों में लगभग 22 प्रतिशत 18 साल से कम उम्र की बच्चीयों का है। जिनमे शायद पोक्सो कानून की धारा ही नहीं लगाई। अगर छेड़छाड का आंकडा देखा जाये तो कुल 5999 मामले दर्ज हुये लेकिन इसमें 18 साल से कम उम्र का आंकडा नहीं दिया गया। अगर पूर्व गठित राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा उपलब्ध आंकडे देखे तो उनका कहना है कि जुलाई 2013 से मार्च 2015 तक के 3752 मामले पोक्सो की विभिन्न धाराओं में दर्ज हुये। स्पष्ट है कि राजस्थान पुलिस का अपराध ब्यौरो का आंकड़ा सही नहीं है। लेकिन अगर हम बलात्कार के उपलब्ध आंकडे को देखे तो 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ अगर कुल दर्ज बलात्कार का 22 प्रतिशत हैं तो यह चौकाने वाला आंकड़ा है। इसका मतलब जितनी जनसंख्या 18 साल से कम लड़कियों की है उतनी ही कुल बलात्कार का प्रतिशत है। यानि सभी बच्चे असुरक्षित है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 3752 का आंकडा इस लिए ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि 2881 चालान पेश हो चुके है। पोक्सो में चाहे राज्य अपराध ब्यूरो का आंकडा देखे या बाल निदेशालय का दोनों में अनुसूचित जाति व जनजाति का आंकडा नहीं दिया गया हैं।

इसी तरह अगर हम राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों का आंकडा देखे तो अनुसूचित जाति पर हो रहे बलात्कार का आंकडा देखे तो 9 प्रतिशत के लगभग होता है और अनुसूचित जनजाति का आंकडा देखे तो वह केवल बलात्कार के मामलों का 2 प्रतिशत है। यह तो स्पष्ट एफआईआर न दर्ज करने का संकेत है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों ने अनुसूचित जाति व जनजाति पर हो रहे बलात्कार में 18 साल से कम उम्र का आंकडा नहीं दिया है। इसलिए अनुसूचित जाति व जनजाति बालिकाऐं में कितनी प्रतिशत बलात्कार पिड़ित है यह आंकडा नहीं दिया गया है।

पोक्सो कानून की धारा 43–44 व नियम 6 के तहत स्पष्ट कहा गया है कि दोनों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पोक्सो कानून का मुल्यांकन व मोनीटरिंग नियमित रूप से करनी चाहिए, चेतना जगाने के साथ साथ। अभी तक राजस्थान

राज्य में न राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग न कोई रिपोर्ट निकाली है और ना ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने।

सरसरी तोर के विश्लेषण स्पष्ट हो गया है कि राज्य व राष्ट्रीय में से कोई भी आयोग अगर मोनिटरिंग नहीं हो रही हैं, अगर हो रही होती तो जरूर आंकड़ो में कुछ स्पष्टता होती।

6. उपरोक्त रपट में हमारी निम्न मांगे है :–

- ईश्वरचन्द वेद्य अध्यक्ष जैन आदर्श सेवा संस्थान की तुरन्त गिरफ्तारी की जाये। डेल्टा मेघवाल के चरित्र का बिल्कुल हनन न किया जाये। जैसे पोक्सो कानून में कहा गया कि नही तो कानूनी कार्यवाही की जाये।
- डेल्टा मेघवाल की हत्या के सबंध में लगी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 को नहीं हटाया जाए जब तक कि विशेषज्ञ से कुण्ड की जांच न की जाए जिसके तहत पता लगाया जाए कि कैसे एक लड़की खुद–ब–खुद अपने आपको डुबो सकती है।
- जिस तरह जांच अधिकारी व अन्य जिम्मेदार अधिकारी जांच को बदल कर आरोपियों को हत्या के अपराध से बचा रहे है, इस लिए घटना की निष्पक्ष जांच के लिये सी.बी. आई. से जांच करवाई जाये।
- अपराध के सबंध में पुलिस ने आरोपियें के खिलाफ भारतीय दण्ड संहित की धारा 302, 201 व 34, पोक्सों अधिनियम की धारा 5/6 व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1) (xii) FIR में लगाई है। हमारा मानना है कि स्थानीय पुलिस को अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण संशोधित अधिनियम की जानकारी ही नही थी, कि उन्होने उपयुक्त धाराऐ नही लगाई है। साथ ही पोक्सों कानूनी की धारा 21 को नही जोड़ा गया। निम्न धाराऐ जोड़ी जायें–
  - ✓ शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक द्वारा बालिका के साथ यौनिक हिंसा के सबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण संशोधित अधिनियम की धारा 3 (2) (v) साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (f) के साथ ही।
  - ✓ अनुसूचित जाति की बालिका से सफाई करवाना, कपड़े धुलवाना, उसकी गरीमा को क्षति पहुंचाना अपमानित करना आदि के सबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण संशोधित अधिनियम की धारा 3 (1) (R) (S)
  - ✓ संस्थान के प्रबंधन, जिम्मेदार पदाधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से बरती गई लापरवाही के लिए उनके खिलाफ पोक्सों अधिनियम की धारा 21 जोड़ी जाये।
  - ✓ दलित उत्पीड़न के गंभीर प्रकरण में कर्तव्यो के प्रति लापरवाही बरतने, कानूनी प्रावधानों की पालना नही करने कर अपराध को बढ़ावा देने वाले जिम्मेदार अधिकारियो के खिलाफ अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण संशोधित अधिनियम की धारा 4 के तहत अलग से अपराधिक कार्यवही की जायें।
  - ✓ दलित बालिका के मृत शरीर को असम्मान जनक तरीके से अस्पताल के मुर्दाघर में ले जाने, वाले पुलिस व प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहित की धारा 295 सहित अन्य उचित धाराऐं लगाई जाये।
  - ✓ संस्था के अध्यक्ष ईश्वरचन्द वैद व सचिव जगदीशमल लोढा को घटना के लिये गंभीर लापरवाही का जिम्मेदार मानते हुए कठोर कानून कारवाई की जाये।
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण संशोधित अधिनियम जो 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ है व अब नियम भी राजपत्रित हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग सम्पूर्ण पुलिस महकमें को दी जायें। सभी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी व केन्द्रो को नई ड्रील बनाई जायें।

- उस संस्थान में पढ़ रही लड़कियों की सुरक्षा बहुत गंभीर प्रश्न है। शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय जांच समिति बने, जिसमें पूर्व महिला आयोग की अध्यक्षा, व महिला व दलित संगठनों के प्रतिनिधि हो। यह समिति संस्थान का सुरक्षा ऑडित करे व कॉलेज के खिलाफ कार्यवाही कर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें।
- कार्य स्थल पर यौन हिंसा सम्बन्धी 2013 का सरासर उल्लंघन हुआ है अतः इस कानून की धारा 26 के तहत 50,000/—रूपये जुर्माना व संस्था की मान्यता को रद्द किया जाये। साथ उसे देरी किये बगैर लागू कर आन्तरिक शिकायत समितिया तुरन्त बनाई जाये।
- पॉक्सो, बाल अपराध कानून, आपराधिक विधिक संशोधन व अन्य कानून की ट्रेनिंग सभी पढ़ रहे छात्र—छात्राओं, शिक्षक, स्टाफ व प्रबंधन के लोगों को देनी चाहिए। राज्य बाल अधिकार आयोग को तुरन्त वहां पहुंचकर सभी बच्चों से बात करनी चाहिए और प्रशिक्षण देना चाहिए। इसी तरह महिला आयोग को भी कॉलेज की छात्राओं से संवाद रखना चाहिए।
- सरकार यह भी समीक्षा करवाये कि बाल संरक्षण कानूनो की कितनी जानकारी पुलिस को है, व उसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है। साथ ही निरन्तर प्रशिक्षण किया जाना चाहिए।
- राज्य पुलिस व बाल संरक्षण निदेशालय दोनों को बच्चों पर हो रहे यौनिक अपराध का व्यवस्थित रूप से आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए और हर आंकड़ो में 18 साल से कम उम्र व अनुसूचित जाति व जनजाति ककको जोड़ा जाना चाहिए। दोनों राज्य व राष्ट्र बाल संरक्षण अधिकार आयोग को पारदर्शी तरिके से अपने मूल्यांकन व मोनिटरिंग की प्रक्रियाओं का खुलासा करे जिससे उनके प्रभाव का आंका जा सके। साथ ही नियमितता का भी खुलासा किया जाना चाहिए। जिससे जनता का पक्ष की भी सुनवाई भी हो।
- डेल्टा मेघवाल के गांव त्रिमोही, गडरा रोड़, जिले के स्कूल को उसके नाम से रखा जाए व डेल्टा मेघवाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय घोषित किया जाये। स्कूल को क्रमोन्नत कर सेकण्डरी स्तर का किया जाये जिससे लड़कियों को गांव में ही शिक्षा मिल जाये।
- दलित बालिका के साथ बलात्कार व हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को बतौर क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रूपये दिया जाये । यह रकम इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि पूरा जीवन उसके सामने था और वह बहुत कुछ परिवार व समाज के लिए कर सकती थी।

  तत्काल अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के 1995 के नियम 12(4) के तहत 2 लाख 81 हजार तुरन्त मिलेने चाहिए व पोक्सो कानून के तहत 2 लाख 50 हजार सहयोग राशी राजस्थान पिड़ित प्रतिकर योजना संशोधित 2015 के तहत मिलनी चाहिए। इसलिए तत्काल 5 लाख 31 हजार रूपये पिड़ित परिवार तक पहुंच जाने चाहिए।
- गडरा रोड़ सहित अन्य पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा को लेकर सरकार तुरन्त प्रभाव से अभियान चलाये ताकि बालिकाओं में शिक्षा के प्रति जो डर पैदा हुआ है उससे बाहर निकल कर निडर हो कर शिक्षा प्राप्त कर सके।
- राज्य की मुख्य मंत्री से गुजारिश है कि वे अगर किसी मसले पर इंसानियत बतौर सहानुभूति नहीं अभिव्यक्त कर सकती तो किसी की गरिमा व चरित्र पर लांछन न करे। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री डेल्टा मेघवाल के मामले में माफी मांगे और भविष्य किसी भी महिला के चरित्र व गरिमा को लेकर ठेस ना पहुंचाने का आश्वासन दे।